निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 20/2004 तारीख दायरा 28.02.2004

उनवान

1. भूलीबाई बेवा श्री रामचन्द्र जाति किराड़ निवासी किशनपुरा।
2. सावित्री पुत्री रामचन्द्र पत्नि गिरिराज जाति किराड़ निवासी किशनपुरा तह0 सांगोद।

— वादीगण

बनाम

1. सूरजा बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि सूरजमल जाति किराड़ निवासी ग्राम पोलाई तहसील दीगोद।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद।
3. सब रजिस्टार सांगोद तहसील सांगोद।
4. मृतक कमलाबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र पत्नि रामकिशन जरिये कायम मुकामान –
   - 4/1 श्री रामकिशन पुत्र श्री धुलीलाल जाति किराड़ निवासी ग्राम निपानिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
   - 4/2 गायत्री बाई पुत्री रामकिशन जाति किराड़ निवासी ग्राम निपानिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
   - 4/3 रिकू बाई पुत्री रामकिशन जाति किराड़ निवासी ग्राम निपानिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
   - 4/4 भैरूलाल पुत्र रामकिशन जाति किराड़ निवासी ग्राम निपानिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अतंर्गत धारा 88, 89, 53, 54 [illegible] आर.टी. एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद

उपस्थित :–

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादीगण) दिनांक :– 16.12.2022

श्री अशोक कुमार जैन (वकील प्रतिवादीगण)

—— संशोधित निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता रामचन्द्र के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम किशनपुरा तहसील सांगोद मे निम्न प्रकार स्थित है –

<u>विवरण आराजी</u>

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
129	472 खजूरवाला	8 बीघा 3 बिस्वा
128	मि 216 डोलीवाला	4 बीघा 11 बिस्वा
	242	2 बीघा 2 बिस्वा
	251	13 बिस्वा
	258	7 बिस्वा
	257	1 बीघा 19 बिस्वा
	505 पीपलीवाला	7 बीघा 12 बिस्वा
	7 किता	25 बीघा 7 बिस्वा

उक्त वर्णित आराजी कुल 25 बीघा 7 बिस्वा स्व. रामचन्द्र जी के खाते की होना बताकर वादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण का क्रम 1 का 1/4 तथा प्रतिवादी क्रम 4 का 1/4 हिस्सा बताकर प्रस्तुत वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 सूरजा बाई ने उपस्थित होकर उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्से को नकारते हुये वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया तथा स्वर्गीय रामचन्द्र द्वारा उनके जीवन काल में दिनांक 01/12/1992 को प्रतिवादी कम 1 के नाम वसीयत करना अंकित किया गया है। उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रेकार्ड में रामचन्द्र जी का फौती इन्तकाल भी दिनांक 15/05/1998 को सूरजाबाई के नाम नामान्तरण दर्ज करना बताया गया। उक्त नामान्तरण राजस्व मण्डल तक चेलेन्ज किया गया। राजस्व मण्डल द्वारा सम्भागीय आयुक्त द्वारा नामान्तरण निरस्त करके दिया जो सही मानते हुये राजस्व न्यायालय में जैरकार प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक निषेधाज्ञा पारित करते हुये वाद के निर्णय के अनुसार पालना करने का आदेश पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में नामान्तरण द्वारा तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वाद में नियत की गई जिसमें वादिनी के बयान भी लिये जा चुके है। इसी दौरान पक्षकारान की लोक अदालत की भवना से समझाईश की गई। दोनों पक्ष उत्तराधिकार के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी 1/4 आराजी लेने को सहमत होकर भविष्य में वसीयत के आधार पर क्लेम नहीं करने बाबत दोनों पक्षों के बीच राजीनामा प्रस्तुत किया गया राजीनामा बाद तस्दीर शामिल पत्रावली किया गया ।

अतः मुताबिक राजीनामा दावा डिकी किया जाना उचित प्रतीत होने से वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम किशनपुरा की आराजी खाता नम्बर 128 एवं 129 में प्रत्येक वादीगण 1/4–1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी कम 1 एवं 4 को प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है क्योकि प्रतिवादी कम 4 की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण प्रतिवादीकम 4/1 से 4/4 तक कमला बाई के स्थान पर प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय डिकी बनाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

संशोधित फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी
निर्णय वइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 20 / 2004 तारीख दायरा 28.02.2004

उनवान

1. भूलीबाई बेवा श्री रामचन्द्र जाति किराड़ निवासी किशनपुरा।
2 सावित्री पुत्री रामचन्द्र पत्नि गिरिराज जाति किराड़ निवासी किशनपुरा तह0 सांगोद।

– वादीगण

बनाम

1. सूरजा बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि सूरजमल जाति किराड़ निवासी ग्राम पोलाई तहसील दीगोद।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद।
3. सब रजिस्टार सांगोद तहसील सांगोद।
4. मृतक कमलाबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र पत्नि रामकिशन जरिये कायम मुकामान –
   - 4 / 1 श्री रामकिशन पुत्र श्री धुलीलाल जाति किराड़ निवासी ग्राम निपानिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
   - 4 / 2 गायत्री बाई पुत्री रामकिशन जाति किराड़ निवासी ग्राम निपानिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
   - 4 / 3 रिकू बाई पुत्री रामकिशन जाति किराड़ निवासी ग्राम निपानिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
   - 4 / 4 भैरूलाल पुत्र रामकिशन जाति किराड़ निवासी ग्राम निपानिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अतंर्गत धारा [illegible] टी. एक्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (को[illegible]

उपस्थित :–

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादीगण) दिनांक :– 16.12.2022

श्री अशोक कुमार जैन (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

ग्राम किशनपुरा की आराजी खाता नम्बर 128 एवं 129 में प्रत्येक वादीगण 1/4–1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी कम 1 एवं 4 को प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है क्योकि प्रतिवादी कम 4 की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण प्रतिवादीकम 4/1 से 4/4 तक कमला बाई के स्थान पर प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:45 IST
Reason: SelfAttested